



भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (मानद विश्वविद्यालय)
ICAR-National Dairy Research Institute (Deemed University)

करनाल, हरियाणा (भारत). पिन-132001.

Karnal, Haryana (India). PIN-132001

राजभाषा एकक (HINDI CELL)



फा.सं. राजभाषा 1(4)/2026-27-हिन्दी/

दिनांक : 13.07.2026

सेवा में,

स.प्र.अधि. स्था.1, 2, 3, 4, 5 व ऑडिट/क्रय/केन्द्रीय भण्डार/विश्वविद्यालय कार्यालय।

प्रभारी, पुस्तकालय सेवाएं, जन संपर्क अधिकारी,

सभी प्रभाग/अनुभाग (वैज्ञानिक व प्रशासनिक), राडेअनुसं, करनाल।

विषय : 01.04.2026 से 30.06.2026 तक की तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट के लिए आंकड़ें उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि संस्थान की दिनांक 01.04.2026 से 30.06.2026 तक की अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार के राजभाषा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के हिन्दी अनुभाग को प्रेषित किया जाना है। इसके लिए संस्थान के सभी प्रभाग एवं अनुभाग संलग्न प्रोफार्मा पर उपरोक्त अवधि की राजभाषा हिन्दी से संबंधी वांछित आंकड़ें दिनांक 15.07.2026 तक राजभाषा एकक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं जिससे कि उन आंकड़ों को संग्रहित/संकलित कर उच्च कार्यालयों को उन्हें समय से प्रेषित किया जा सके। विलंब से भेजे गए आंकड़े स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में ईपीएबीएक्स संख्या 1045/1457 पर संपर्क कर समस्या का निराकरण करवा सकते हैं।

संलग्न : एक प्रफार्मा।

भवदीय,

धीरज शर्मा

(धीरज शर्मा)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि :

- निदेशक के प्रधान निजी सचिव के सूचनार्थ।
- संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं कुलसचिव के प्रधान निजी सचिव के सूचनार्थ।
- प्रभारी, कंप्यूटर केंद्र, राडेअनुसं, करनाल को ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड व संस्थान की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।

(संलग्न प्रपत्र में 01.04.2026 से 30.06.2026 तक के ऑकड़े भरे जाएंगे)

तिमाही हिन्दी बैठक हेतु जानकारी का प्रफॉर्म

संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही हिन्दी बैठक हेतु प्रभागों/अनुभागों की जानकारी का प्रपत्र

(इसी प्रपत्र में ऑकड़ें भरकर व प्रभारी, लिपिक या प्रतिनिधि से हस्ताक्षर करवाकर संस्थान के राजभाषा एकक को शीघ्र भिजवा दें)

प्रभाग/अनुभाग का नाम

1. माननीय मंत्री जी को भेजी गई फाइलों का ब्यौरा

(i) तिमाही के दौरान संबंधित माननीय मंत्री जी को कितनी फाइलें भेजी गई :

(ii) इसमें से कितनी फाइलें हिंदी में भेजी गई :

2. सचिव/समकक्ष स्तर पर बैठकों/फाइलों का ब्यौरा

(i) सचिव/समकक्ष स्तर पर कितनी बैठकें आयोजित की गई :

(ii) इनमें से कितनी बैठकों की कार्यवाही हिंदी में की गई/कार्यवृत्त हिंदी में जारी किए गए :

(iii) सचिव/समकक्ष के स्तर से सीधे जारी किए गए कुल कागजात :

(iv) हिंदी में जारी किए गए कागजात की कुल संख्या :

3. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात-
(इनमें संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र, द्विभाषिक रूप में (अंग्रेजी और हिंदी) में जारी किए जाने हैं। (लक्ष्य 100 प्रतिशत)

(क)	जारी दस्तावेज की कुल संख्या	
(ख)	द्विभाषी रूप में जारी दस्तावेज की संख्या	
(ग)	केवल अंग्रेजी में जारी किये गए दस्तावेज	
(घ)	केवल हिंदी में जारी किये गए दस्तावेज	

4. पिछले तीन माह में हिंदी में प्राप्त पत्रों की जानकारी
(राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के तहत हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है)
(लक्ष्य 100 प्रतिशत)

आपके प्रभाग/अनुभाग में पिछले तीन माह में हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या

इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे

इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी में दिए गए

इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिये गये

5- अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' व 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालय के लिए)

नोट:

क क्षेत्र में- सभी हिंदी भाषी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश आते हैं एवं

ख क्षेत्र में-गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं
(लक्ष्य 100 प्रतिशत)

क्षेत्र	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की सं.	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
'क' क्षेत्र से				
'ख' क्षेत्र से				

6. मूल रूप से भेजे गये पत्रों/पत्राचार का ब्यौरा (लक्ष्य 100 प्रतिशत)

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिन्दी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
'क' क्षेत्र को				
'ख' क्षेत्र को				
'ग' क्षेत्र को				
कुल				

नोट -

क क्षेत्र में- सभी हिंदी भाषी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश आते हैं एवं

ख क्षेत्र में- गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादर एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं

ग क्षेत्र में- क और ख क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र आते हैं।

7. फाइलों/आवतियों/ई-ऑफिस पर टिप्पण लेखन का ब्यौरा* (लक्ष्य 80 प्रतिशत)

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	
इतमें से अंग्रेजी में लिखी गई कार्यालय टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	
टिप्पणियों के पृष्ठों की कुल संख्या	
ई-ऑफिस के माध्यम से भेजी गई टिप्पणियों की संख्या	
हिंदी में कार्य का अनुमानित प्रतिशत	

प्रभाग/अनुभाग के अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांक : / /

प्रतिलिपि- निदेशक, भाकृअनुप-राडेअनुसं, करनाल को सूचनार्थ।